

भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5686

बुधवार, 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर देने के लिए

कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र

5686. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैया):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (केसीसीआरएसएसटी) की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता साझा करने और उद्योग के लिए इसकी विभिन्न सुविधाओं को खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एव प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की स्थापना करने पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दिनांक 03 जनवरी, 2022 को कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (के सी सी आर एस एस टी) का उद्घाटन किया गया। आगामी प्रौद्योगिकियों में भारत के अग्रणी स्थान को सुनिश्चित करते हुए देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है।

- (ख) जी, हां। इसरो द्वारा चिह्नित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से इच्छुक एवं योग्य उद्योगों को हस्तांतरण के लिए उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार मांग के आधार पर तकनीकी सुविधाओं को साझा करने सहित अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर-सरकारी निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है।
- (ग) इन-स्पेस पहले से ही अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस) के अंतर्गत स्थापित है। इन-स्पेस गैर-सरकारी निजी कंपनियों (एन जी ई) द्वारा डी ओ एस की स्वामित्व वाली सुविधाओं का उपयोग किए जाने और अंतरिक्ष संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित एवं प्राधिकृत करने तथा सभी हितधारकों पर विचार करते हुए प्रमोचन अनुसूची के बारे में अंतिम निर्णय लेने हेतु एक सिंगल विंडो तंत्र है।
- (घ) अंतरिक्ष विभाग ने देश के विविध प्रमुख संस्थाओं में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु विकास प्रकोष्ठों एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों की स्थापना की है। अंतरिक्ष विभाग देश के इच्छुक शैक्षिक जगत के लिए अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्रायोजित करता है। अंतरिक्ष विभाग ने अंतरिक्ष संबंधी कार्यकलापों में एन जी ई की भागीदारी के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2022 तैयार की है।
